



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(Transport Cell)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 280/TJans

दिनांक:- 11/06/2024

इच्छा की अभिव्यक्ति (EXPRESSION OF INTEREST)

राँची नगर निगम, राँची क्षेत्राधीन सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों (Tata Mega/ Tata Zip) का Third Party बीमा IRDAI के द्वारा निर्धारित दर से किया जाना है। इच्छुक सरकारी (PSU) कम्पनी से मुहरबन्द लिफाफे में नियम-शर्तों के अनुरूप प्रस्ताव दिनांक 11/06/2024 को अपराह्न 03.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी राँची नगर निगम के वेबसाईट www.ranchimunicipal.com पर देखा जा सकता है अथवा कार्यावधि के दौरान परिवहन कोषांग, राँची नगर निगम, राँची में सम्पर्क किया जा सकता है।

[Signature]
11/06/24

उप प्रशासक,

राँची नगर निगम, राँची।

ज्ञापांक 280/TJans राँची / दिनांक 11/06/2024

- प्रतिलिपि :
1. सामान्य शाखा, राँची नगर निगम, राँची को सूचनापट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।
 2. श्री गुरुदयाल सिंह, P.E.S., राँची नगर निगम, राँची को निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।
 3. श्री राजेश कुमार, आई0टी0 प्रभारी, राँची नगर निगम, राँची को निदेश दिया जाता है कि राँची नगर निगम के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
 4. प्रशासक, राँची नगर निगम को सादर सूचनार्थ समर्पित।

[Signature]
11/06/24

उप प्रशासक,

राँची नगर निगम, राँची।



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(Transport Cell)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001
e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 280/Trans

दिनांक: 11/06/2024

इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

राँची नगर निगम क्षेत्राधीन प्रयुक्त होने वाली सफाई वाहनों की THIRD PARTY बीमा (Goods carrier, Public) श्रेणी हेतु दर आमंत्रण सूचना

निदेशानुसार, राँची नगर निगम, राँची क्षेत्राधीन सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों का Third Party बीमा IRDAI के द्वारा निर्धारित दर से किया जाना है। कुल वाहनों की संख्या 190 (Tata Mega/Tata Zip) है, वाहनों संख्या घट बढ़ सकती है।

अहर्ता एवं शर्तें:-

- बीमा हेतु सरकारी बीमा कम्पनी (PSU) ही सम्मिलित हो सकते है।
- बीमा कम्पनी का Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) से पंजीकृत होना आवश्यक है। तत्संबंधी पंजीकरण का प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। इसमें बीमा कंपनी स्वयं/अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ही भाग ले सकती है।
- बीमा के अन्तर्गत चालक एवं संवाहक के साथ-साथ दुर्घटना होने पर 3rd Party की भी क्षतिपूर्ति देना होगा साथ ही 3rd Party बीमा हेतु देय सभी प्रकार का लाभ देना होगा। लेटर हेड पर इससे संबंधित स्वघोषणा समर्पित करना होगा।
- EOI समर्पित करने वाले बीमा कंपनी एवं कंपनी के प्रतिनिधि का पेन कार्ड की कॉपी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना होगा।
- अगर बीमा कंपनी के प्रतिनिधि प्रस्ताव (EOI) में भाग लेते है तो कंपनी का Authorisation Letter प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- EOI के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी दस्तावेजों पर अधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर अनिवार्य है।
- एक बीमा कंपनी का सिर्फ एक ही प्रस्ताव (EOI) स्वीकार किया जायेगा। एक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित बीमा कंपनी के किसी भी प्रस्ताव (EOI) पर विचार नहीं किया जायेगा।
- EOI में सम्मिलित होने वाली बीमा कम्पनी को भारत सरकार, राज्य सरकार, तथा अन्य किसी भी सरकारी संस्थान से Blacklist नहीं किया गया है, तत्संबंधी शपथ-पत्र (Non Blacklisting Certificate) के माध्यम से समर्पित करना होगा।
- Conditional प्रस्ताव अस्वीकार्य कर दिया जाएगा।
- दो प्रस्तावक का दर एक समान रहने पर दोनो अथवा किसी एक को कार्यादेश निर्गत किया जा सकता है।
- अपरिहार्य परिस्थिति में अद्योहस्ताक्षरी का आदेश सर्वमान्य होगा।

Ravi 11/06/24

उप प्रशासक

राँची नगर निगम, राँची।